न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष सं०–04, बरेली।
उपस्थितः अमृता शुक्ला, एच०जे०एस०, जे०ओ० कोड– UP6266
अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र सं०–263/2026
कम्प्यूटर नं०–296/2026
CNR No.– UPBR01–003672–2026

मोईन खान पुत्र वसीम खान निवासी मो0 जखीरा थाना किला जिला बरेली।

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य

मु0 अ 0 सं0–491/2025
अन्तर्गत धारा 191(2), 191(3), 115(2), 196(1), 196(2), 351(2), 195(1), 189(5), 223, 61(2), 62 बी०एन०एस०
थाना–कोतवाली, जिला बरेली।

दिनांक–19.01.2026

1. प्रस्तुत अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से सत्र न्यायालय के समक्ष दिनाक 25.02.2026 को प्रस्तुत किया गया है, जो सत्र न्यायाधीश, बरेली के आदेश दिनांकित 25.02.2026 के द्वारा स्थानातरण के उपरान्त इस न्यायालय को प्राप्त हुआ।
2. अभियुक्त की ओर से मुकदमा अपराध संख्या–491/2025, धारा–191(2), 191(3), 115(2), 196(1), 196(2), 351(2), 195(1), 189(5), 223, 61(2), 62 बी०एन०एस०, थाना कोतवाली, जिला बरेली के मामले में यह अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया गया है।
3. अभियोजन कथानक के अनुसार, संबंधित थाना उ०नि० शिवम कुमार, प्रभारी चौकी बिहारीपुर द्वारा संबंधित थाना कोतवाली पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि दिनांक 26/09/2025 को वादी उ०नि० शिवम कुमार चौकी प्रभारी बिहारीपुर चौकी क्षेत्र में मौलाना तौकिर रजा व अन्य आईए–मसी पदाधिकारीयों के द्वारा इस्लामिया कालेज पर भीड़ को इकट्ठा करने के आह्वान पर शान्ति व्यव–स्था व कानून व्यवस्था के दृष्टिगत मामूर था तो उसके द्वारा बाला–बाला पूर्व से बिहारीपुर चौकी क्षेत्र में मामूर चीता 04 पर नियुक्त का0 519 निशान्त मलिक को जरिये दूरभाष बुलाया गया, जिनको साथ लेकर वह बिहारीपुर ढाल पर पहुंचा तथा वहाँ पर पूर्व से ड्यूटीरत पुलिस बल उ०नि० श्री ब्रज किशोर, चुनाव सैल, बरेली, उ०नि० श्री नितिन शर्मा, थाना आँवला, बरेली, उ०नि० श्री उपदेश कुमार, थाना भमौरा, बरेली, उ०नि० श्री अश्वनी शर्मा, थाना आँवला, बरेली, का0 3242 केशव कुमार, सिंगल वि–ण्डो, बरेली, का 307 विनय कुमार, सिंगल विण्डो, बरेली, का0 386 चैतन्य प्रकाश, थाना भमौरा, बरेली, का0 2120 प्रशान्त चौधरी, थाना भमौरा, बरेली, हे0 का0 605 विनोद कुमार, थाना विशार–तगंज, बरेली, का0 3881 नीरज कुमार, थाना विशारतगंज, बरेली, का0 1170 छत्रपाल सिंह, थाना विशारतगंज, बरेली, का0 656 विष्णु पोनिया, थाना विशारतगंज, बरेली को साथ लेकर पास में स्थित जिला पंचायत परिषद गेट पर ड्यूटीरत था तो समय करीब 16.10 बजे मौलाना तौकीर रजा व अन्य आईएमसी पदाधिकारी नदीम व अन्य के आह्वान पर इस्लामिया कालेज को जाने वाली करीब 150 मुस्लिम व्यक्तियों की भीड जिला पंचायत परिषद पर इकटठा होने के कारण उन सभी पुलिस बल द्वारा भीड़ को समझाया कि जिले में धारा 163 बीएनएसएस लगी है। आप सब लोग अपने अपने घर चले जाओ। इस्लामिया कालेज में इकट्ठा होने की कोई भी अनुमति नहीं दी गयी है, जिस पर भीड़ में शा–मिल लोग उत्तेजित होने लगे और कहने लगे कि उनको मौलाना तौकीर रजा और नदीम भाई आईएम–सी के द्वारा इस्लामिया ग्राउण्ड में बुलाया गया है। वे लोग रुकने वाले नहीं है, वे सभी लोग यहां जरूर जायेंगे। यदि आपने रोका तो यहीं पर बहुत बड़ा बबाल कर देंगे। काफी समझाने के बाद भी भीड़ में लोग और उग्र हो गये। उसके द्वारा काफी समझाया बुझाया गया कि इस्लामिया कलेज में प्रदर्शन करने की अनुमति नहीं है। इस पर भीड़ में शामिल लोगों के द्वारा सामाजिक व धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने वाले उत्तेजक नारे लगाने लगे एव सरकार विरोधी नारों के साथ गुस्ताखे नबी की एक ही सजा सर तन से जुदा सर तन से जुदा के उन्मादी नारे लगाने शुरु कर दिये। लगभग 150 अज्ञात लोगो की भीड़ ने उन पुलिसवालों को धक्का मारकर आगे जाने लगी। उनको रोकने की उन पुलिसबल द्वारा कोशिश की गयी तो भीड़ के द्वारा पुलिस पर पथराव किया गया, जिससे ड्यूटी पर तैनात थाना कोतवाली, बरेली के उ०नि० का0 519 निशान्त मलिक, कां० नितिन शर्मा व धर्मेन्द्र कुमार तैनाती थाना कोतवाली जनपद

बरेली को पत्थर से चोट लगी व घायल हो गये, जिनको तत्काल इलाज हेतु जिला अस्पताल भिजवाया गया। इस स्थान पर लोकशाति व्यवस्था भंग हो गई है तथा अत्यन्त तनावपूर्ण माहौल हो गया है, जिस कारण वह मय फोर्स के इस स्थान पर ही परिस्थिति अनुकूल होने तक उपस्थित रहा। शाति व्यवस्था कायम हो जाने के उपरात अभियोग पंजीकृत कराने आया है। तदोपरान्त, उपरोक्त तहरीर के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या-491/2025, धारा-191(2), 191(3), 115(2), 196(1), 196(2), 351(2), 195(1), 189(5), 223, 61(2), 62 बी०एन०एस०, थाना कोतवाली, जिला बरेली में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी।

4. अभियुक्त की ओर से योजित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र में यह आधार लिया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त को रंजिश एवं झूठे तथ्यों के आधार पर फँसाया गया है, जबकि वह निर्दोष है। प्रार्थी/अभियुक्त का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र है। प्रार्थी/अभियुक्त को पुलिस बेवजह उसे जेल भेजना चाहती है। कथित घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त न्यायालय परिसर बरेली में अपने मुकदमे में उपस्थित था। उपरोक्त वाद से संबंधित प्रथम सूचना रिपोर्ट बनावटी एवं मनगढ़ंत तथ्यों पर आधारित है तथा राय मशविरा कर अत्यधिक विलंब से दर्ज की गई, विलंब का कोई स्पष्ट कारण नहीं दर्शाया गया। दिनांक 26.09.2025 को प्रार्थी/अभियुक्त कथित घटना स्थल पर उपस्थित नहीं था और न ही ऐसा कोई साक्ष्य पत्रावली पर उपलब्ध है। वादी द्वारा घटना को जिला पंचायत परिषद के पास दर्शाया गया और भीड़ इकट्ठा होने की बात कही गई, परंतु घटना के समय प्रार्थी/अभियुक्त की उपस्थिति का कोई उल्लेख नहीं किया गया। किसी भी गवाह द्वारा प्रार्थी/अभियुक्त को मौके पर देखे जाने अथवा किसी पुलिस कर्मचारी को चोट पहुँचाने के संबंध में कोई कथन नहीं दिया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा किसी भी मज़रूब को कोई चोट नहीं पहुँचाई गई और न ही लोक संपत्ति को कोई नुकसान पहुँचाया। कथित चोटें साधारण प्रकृति की हैं तथा प्राणघातक नहीं हैं। वाद से संबंधित कथित घटनाक्रम इस्लामिया इंटर कॉलेज के पास का बताया गया है, किंतु उसी कथित घटना के संबंध में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा विधि विरुद्ध रूप से अलग-अलग कई मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उपरोक्त से संबं- धित अपराध 07 वर्ष से कम सजा से दण्डनीय है, इसके बावजूद धारा 35 बी०एन०एस० का लाभ नहीं दिया गया और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित विधि व्यवस्था का पालन नहीं किया गया। प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है और उसके द्वारा किसी प्रकार का कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरुपयोग नहीं किया जायेगा तथा उसके भागने की कोई संभावना नहीं है। वह उचित जमानती दाखिल करने को तैयार हैं। उपरोक्त आधारों पर अभियुक्त का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने का अनुरोध किया गया।

5. अभियोजन पक्ष की ओर से विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता, दाण्डिक द्वारा जमानत प्रार्थना पत्र का विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने की याचना की है।

6. उभयपक्षों की ओर से प्रस्तुत किये गये तर्कों एवं सम्बन्धित पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का सम्यक् परिशीलन किया।

7. प्रार्थना पत्र के निस्तारण के लिए जमानत से सम्बन्धित विधि एवं विधि व्यवस्थाओं का उल्लेख निम्नवत् किया जा रहा है-

8. **Section 438.** Direction for grant of bail to person apprehending arrest.

(1) When any person has reason to believe that he may be arrested on an accusation of having committed a non-bailable offence, he may apply to the High Court or the Court of Session for a direction under this section; and that Court may, if it thinks fit, direct that in the event of such arrest, he shall be released on bail.

(2) When the High Court or the Court of Session makes a direction under sub-section (1), it may include such conditions in such directions in the light of the facts of the particular case, as it may think fit, including-

(i) a condition that the person shall make himself available for interrogation by a po- lice officer as and when required;

(ii) a condition that the person shall not, directly or indirectly, make any inducement, threat or promise to any person acquainted with the facts of the case so as to dis-suade him from disclosing such facts to the Court or any police officer;

(iii) a condition that the person shall not leave India without the previous permission of the Court;

(iv) such other condition as may be imposed under sub-section (3) of section 437, as if the bail were granted under that section.

(3) If such person is thereafter arrested without warrant by an officer in charge of a police station on such accusation, and is prepared either at the time of arrest or at any time while in the custody of such officer to give bail, he shall be released on bail; and if a Magistrate taking cognizance of such offence decides that a warrant should issue in the first instance against that person, he shall issue a bailable warrant in conformity with the direction of the Court under sub-section (1).

Vide **Criminal Law (Amendment) Act, 2018**, w.e.f. 21.04.2018, a new provision in the form of sub-section (4) has been added under the Central Act which provides that Section 438 CrPC shall not apply to any case involving the arrest of any person on ac-cusation relating to section 376(3) or section 376AB or section 376DA and section 376DB of the IPC. On the contrary, the U.P. Amendment under sub-section (6), has made provision regarding non-applicability to the offences arising out of

(i) the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967;

(ii) the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985;

(iii) the Official Secret Act, 1923;

(iv) the Uttar Pradesh Gangsters and Anti-Social Activities (Prevention) Act, 1986.

(b) in the offences, in which death sentence can be awarded.

Lastly, under sub-section (7), the U.P. Amendment makes a provision, which has not been provided under the Central Act. The provision as applicable in Uttar Pradesh is as under: "(7) If an application under this section has been made by any person to the High Court, no application by the same person shall be entertained by the Court of Session."

9. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Gudikanti Narasimhulu vs. State (1978) 1 SCC 24028** के मामले में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "the issue [of bail] is one of liberty, justice, public safety and burden of the public treasury, all of which insist that a developed jurisprudence of bail is integral to a socially sensitised judicial process. After all, the personal liberty of an accused or convict is fundamental, suffering lawful eclipse only in terms of "procedure established by law". The last four words ofArticle 21are the life of that human right."

10. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Gurbaksh Singh Sibbia vs State of Punjab 1980 SCC (Cri) 465** के मामले में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "the purpose of granting bail is set out with great felicity. The object of bail is to secure the attendance of the accused at the trial, that the proper test to be applied in the solution of the question of whether bail should be granted or refused is whether it is probable that the party will appear to take his trial and that it is indisputable that bail is not to be withheld as a punishment. The principle to be deduced from the various sections inthe Criminal Procedure Codewas that grant of bail is the rule and refusal is the exception. As a presumably innocent person, he is therefore entitled to freedom and every opportunity to look after his own case. A presumably innocent person must have his freedom to enable him to establish his innocence. In this connection, we would only say thatSec-tions 436,437,438 and 439of the Code are to be read in consonance. We would like

to clarify that what we have enunciated qua bail would equally apply to the anticipa– tory bail after all is one of the species of bail"

11. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Sanjay Chandrav.CBI,(2012) 1 SCC 40**, के मामले में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "The object of bail is neither punitive nor preven– tative. Deprivation of liberty must be considered a punishment unless it is required to ensure that an accused person will stand his trial when called upon. The courts owe more than verbal respect to the principle that punishment begins after conviction, and that every man is deemed to be innocent until duly tried and duly found guilty. The accused should be deprived of his liberty upon only the belief that he will tamper with the witnesses if left at liberty, save in the most extraordinary circumstances. Apart from the question of prevention being the object of refusal of bail, one must not lose sight of the fact that any imprisonment before conviction has a substantial punitive content and it would be improper for any court to refuse bail as a mark of disapproval of former conduct whether the accused has been convicted for it or not or to refuse bail to an unconvicted person for the purpose of giving him a taste of imprisonment as a lesson. The innocence of a person accused of an offence is presumed through legal fiction, placing the onus on the prosecution to prove the guilt before the Court. Thus, it is for that agency to satisfy the Court that the arrest made was warranted and en– largement on bail is to be denied."

12. मा0 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **Satender Kumar Antil vs CBI,(2021) 10 SCC 773,** के मामले में यह विधि सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि "The Hon'ble Supreme Court has been pleased to lay down the following guidelines for considering bail applications. The guidelines are as under: – Categories/Types of Offences (A) Offences punishable with imprisonment of 7 years or less not falling in categories B & D. (B) Offences are pun– ishable with death, imprisonment for life or imprisonment for more than 7 years. (C) Offences are punishable underSpecial Acts containing stringent provisions for bail like NDPS (S.37), PMLA (S.45), UAPA (S.43D(5),Companies Act, 212(6), etc. D) Eco– nomic offences not covered bySpecial Acts.

<u>REQUISITE CONDITIONS</u>

(1) Not arrested during the investigation.

(2) Cooperated throughout the investigation including appearing before Investigating Officer whenever called.

The principle that bail is the rule and jail is the exception has been well recognized through the repetitive pronouncements of this Court. This again is the touchstone of Article 21 of the Constitution of India."

13. इस स्तर पर उपलब्ध प्रपत्रों के परिशीलन से यह स्पष्ट होता है कि अभियुक्त पर अधिरोपित आरोप सात वर्ष के अधिक के कारावास के दण्ड से दण्डनीय नहीं है तथा प्रकरण में अभियुक्त उपरोक्त मुकदमे में जिला कारागार में निरुद्ध है। अतएव मामले के गुणदोष पर कोई मत व्यक्त किये बिना उपल– ब्ध समस्त तथ्य व परिस्थितियों एवं मा० उच्चतम न्यायालय की उपरोक्त वर्णित विधि व्यवस्थाओं के आलोक में अभियुक्त द्वारा योजित अग्रिम जमानत प्रार्थना पत्र निम्न शर्तों के अधीन स्वीकार किये जाने योग्य है।

<u>**आदेश**</u>

अभियुक्त मोईन खान द्वारा प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाता है। मामले की संवेदनशी– लता को दृष्टिगत रखते हुए अभियुक्त के द्वारा अंकन 1,00,000/–रूपये के व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो प्रतिभू दाखिल करने पर निम्न अण्डर टेंकिग दाखिल करने पर जमानत पर रिहा किया जाता है–

1. अभियुक्त विवेचना में पूर्ण सहयोग करेगा तथा बिना विवेचक की अनुमति के जिले से बाहर नहीं जायेगा।

2. दौरान विवेचना में सहयोग न करने पर विवेचक अभियोजक के माध्यम से जमानत निरस्तीकरण का आवेदन करने के लिए स्वतंत्र होंगे।
3. मामले में यदि आरोप पत्र दाखिल किया जाता है तो अभियुक्त अविलम्ब न्यायालय समक्ष उप-स्थित होगा तथा आरोप विरचन एवं विचारण के प्रत्येक प्रस्तर पर नियत की जाने वाली दिनांक पर विचारण न्यायालय के समक्ष उपस्थित रहेगा तथा दौरान विचारण साक्षीगण के उपस्थित आने पर वह किसी प्रकार का स्थगन प्रस्तुत नहीं करेगा तथा दौरान वाद निवास स्थान को परिवर्तित करने की दशा में न्यायालय को सूचित करेगा।

अमृता शुक्ला
अपर सत्र न्यायाधीश
कक्ष सं०-04, बरेली।

Digitally signed by AMRITA SHUKLA
Date: 2026.03.20 10:45:24 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court